GCMS - 2024/392

APP-A

Crim-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

सरकार बनाम उपनीत

किस्म मुकदमा 136 नं. 36 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
8/11/24	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। जॉच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 18/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	
18/11/24	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रामनगर की जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता सं0 18 में उपनीत सिंह पुत्र गुरूचरण सिंह जाति जट सिक्ख के नामा0 सं0 375 दिनांक 05.06.2024 न्याया0 आदेश से नामा0 होने पर ख0 नं0 661/333 रकबा 0.08 है0 की तरमीम संहवन से पश्चिम दिशा में हो गई है। जबकि तरमीम दक्षिण दिशा में होनी है जो सही है। संलग्न नक्शे के आधार पर ख0नं0 661/333 की तरमीम पश्चिम दिशा के स्थान पर दक्षिण दिशा में करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार कर 661/333 की तरमीम पश्चिम दिशा के स्थान पर दक्षिण दिशा में करने के आदेश प्रदान किये जाते है। उक्त निर्णय आज दिनांक 18/11/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 18/11/24 उपखण्ड अधिकारी कोटा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय कोटा	